2026 Volume: 02 Issue: 03 www.ijrpa.com ISSN 2456-9995 Review Article

International Journal Research Publication Analysis

Page: 01-07

समावेशी शिक्षा और नई शिक्षा नीति

***Prashant Ranjan Dutt**

Assistant Professor, Teachers' Training College, Affiliated To Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India.

Article Received: 3 February 2026
Article Revised: 23 February 2026
Published on: 16 March 2026

***Corresponding Author: Prashant Ranjan Dutt**
Assistant Professor, Teachers' Training College, Affiliated To Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India.
DOI: https://doi-doi.org/101555/ijrpa.7135

सारांश :

समावेशी शिक्षा के विचार पर विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रत्येक छात्र अलग-अलग तरीकों से सीखता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है. भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है की प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चे का मौलिक अधिकार है. शिक्षा का अधिकार कानून, दिव्यांग जो 06 – 18 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है. वर्तमान स्वरुप में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है. सम्पूर्ण विश्व में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा की जा रही है.

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को—चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकता वाले—एक ही वातावरण में समान अवसरों के साथ शिक्षा देना है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने इस विचार को और मजबूत किया है, जिसमें समानता, पहुँच और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को—चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकता वाले—एक ही वातावरण में समान अवसरों के साथ शिक्षा देना है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने इस विचार को और मजबूत किया है, जिसमें समानता, पहुँच और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की 121 करोड़ की आबादी में से लगभग 2.68 करोड़ लोग 'विकलांग' हैं जो कि कुल आबादी का 2.21% है। विकलांग आबादी में से 56% (1.5 करोड़) पुरुष हैं और 44% (1.18 करोड़) महिलाएं हैं।

कूटशब्द: समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति (NEP 2020), दिव्यांग जनसंख्या, समानता और न्याय, बाधामुक्त वातावरण

भूमिका :

शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है. भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है की प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चे का मौलिक अधिकार है. शिक्षा का अधिकार कानून, दिव्यांग जो 06 – 18 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है. अगर दिव्यांग की शिक्षा की बात की जाये तो पहले विशेष शिक्षा की बात होती थी. इसमें विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान था बाद में एकीकृत शिक्षा की बात होने लगी परन्तु वर्तमान स्वरुप में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है. सम्पूर्ण विश्व में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्वा पर चर्चा की जा रही है.

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को—चाहे वे सामान्य हों या विशेष आवश्यकता वाले—एक ही वातावरण में समान अवसरों के साथ शिक्षा देना है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने इस विचार को और मजबूत किया है, जिसमें समानता, पहुँच और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा के विचार पर विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रत्येक छात्र अलग-अलग तरीकों से सीखता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा की नीतियों और कार्यक्रमों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

1) सभी छात्रों के लिए समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।

2) समावेशी शिक्षा छात्रों को सामाजिक कौशल और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करती है।

3) समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देती है।

4) समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार ला सकती है।

5) समावेशी शिक्षा समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जहाँ सभी छात्र सभी के द्वारा मूल्यवान, समर्थित और सम्मानित महसूस करते हैं।

परिभाषा: समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें सामान्य और दिव्यांग छात्र एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- सभी बच्चों के लिए समान अवसर

- भेदभाव रहित शिक्षा वातावरण
- शिक्षक में विशेष दक्षताएँ जैसे धैर्य, सहानुभूति और विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने की बजाय उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना
- **महत्त्व:** यह शिक्षा बच्चों में सामाजिक समरसता, सहयोग और समानता की भावना विकसित करती है।

दिव्यांग जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की 121 करोड़ की आबादी में से लगभग 2.68 करोड़ लोग 'विकलांग' हैं जो कि कुल आबादी का 2.21% है। विकलांग आबादी में से 56% (1.5 करोड़) पुरुष हैं और 44% (1.18 करोड़) महिलाएं हैं। विकलांग आबादी का अधिकतर भाग (69%) ग्रामीण इलाकों में रहता है (ग्रामीण क्षेत्रों में 1.86 करोड़ विकलांग व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 0.81 करोड़)। कुल आबादी के मामले में, 69% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जबकि शेष 31% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)

यह नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है, जो समावेशी शिक्षा को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें दिव्यांगता वाले और दिव्यांगता रहित विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं, तथा शिक्षण और अधिगम प्रणाली को विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की स्कूली शिक्षा संबंधी सभी सिफारिशों का समर्थन किया जाता है।

- **लक्ष्य**: शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और बहुआयामी बनाना।

मुख्य बिंदु:

- **समान अवसर**: सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांग और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच बढ़ाना।
- **प्रारंभिक शिक्षा पर जोर:** 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल।
- **बहुभाषी शिक्षा:** मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता।
- **समग्र विकास:** केवल अकादमिक नहीं, बल्कि कला, खेल और व्यावसायिक कौशल पर भी ध्यान।
- **लचीला पाठ्यक्रम:** छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता।

समावेशी शिक्षा और नई शिक्षा नीति का संबंध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में समावेशी दृष्टिकोण

नई शिक्षा नीति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 30 जुलाई 2020 को जारी की गई। शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें के आदर्श वाक्य के साथ, यह भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी की गई पहली शिक्षा नीति है।

एनईपी-2020 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना,

(ख) सभी के लिए पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और

(ग) असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पाँच मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है।

यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मान्यता देती है और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणालियों में शामिल करने में विश्वास रखती है। यह व्यापक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरडब्ल्यूपीडी) अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों का समर्थन करती है।

यह नीति सभी स्कूल केंद्रों में विशेष शिक्षकों की भर्ती का भी लक्ष्य रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण अधिक समावेशी हो और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो। मानक विकलांगता वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने की अनुमति होगी और उन्हें कुशल गृह-शिक्षा शिक्षक प्रदान किए जाएँगे ताकि वे अभी भी सीख सकें और सर्वोत्तम संभव शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को बच्चों में सीखने की अक्षमताओं का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने और सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान विश्लेषण (परख) की स्थापना अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली बनाने हेतु की जाएगी। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल की योजना बनाई गई है।

- NEP 2020 ने समावेशी शिक्षा को केंद्रीय स्थान दिया है।
- दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर।
- डिजिटल शिक्षा और तकनीक का प्रयोग करके दूरदराज और वंचित समुदायों तक शिक्षा पहुँचाना।

- **शिक्षक प्रशिक्षण**: शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की तकनीक और दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।
- **समानता और न्याय**: शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का साधन बनाना।

⚠ चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी
- शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
- समाज में अभी भी भेदभाव की मानसिकता
- तकनीकी रूप से उन्नत संसाधनों का आभाव
- मनोवृत्ति की बाधाएं
- जागरूकता का आभाव
- संवेदनशीलता का आभाव

समाधान:

- सरकारी निवेश बढ़ाना
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना
- जनजागरूकता अभियान चलाना ताकि समाज में समावेशी शिक्षा को स्वीकार्यता मिले
- बाधामुक्त वातावरण बनाना
- सकारात्मक सोच को बढ़ाना
- दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील होना
- संसाधनों एवं तकनीकी को बढ़ाना

निष्कर्ष

संक्षेप में, समावेशी शिक्षा और नई शिक्षा नीति 2020 दोनों मिलकर शिक्षा को अधिक न्यायसंगत, सुलभ और समग्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सभी माता-पिता को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित और सशक्त बनाने की क्षमता, विशेष रूप से सीमित साक्षरता या संसाधनों वाले लोगों को, घर पर उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक चुनौती है। नीति शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर जोर देती है, जिसमें दिव्यांग छात्र भी शामिल हैं। हालांकि, मौजूदा डिजिटल

विभाजन, विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में सस्ती कंप्यूटिंग उपकरणों और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच के संदर्भ में, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को सीमित कर सकता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न समूहों को शामिल करता है, जिनमें दूरस्थ समुदायों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाता है, जिन्हें समावेशी कक्षाओं में एकीकृत किया जाता है। इन नीतियों ने विकलांग बच्चों, जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) भी कहा जाता है, को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल होने में मदद की है। आशा है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, देखभाल और स्वास्थ्य, भी लागू होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर नागरिक बनने की एक आशा है। नीति सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का दावा करती है।

संदर्भ:

1. कर, चिंतामणि: (1992) असाधारण बच्चे, उनका मनोविज्ञान और शिक्षा, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
2. मंगल, एस.के. एवं मंगल, शुभ्रा: (2017) समावेशी शिक्षा का सृजन, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
3. त्यागी, गुरुसरनदास:, शर्मा, जया:, पांडये, रामशकल (2018), आधुनिक भारत एवं शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, भारत सरकार
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, भारत सरकार
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2009), बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भारत सरकार
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, भारत सरकार
8. पाणिग्रही, बंदना: (2024) भारत में समावेशी शिक्षा के लिए नीतियाँ और व्यवहार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (ICJRT), खंड 12, अंक 4, अप्रैल
9. सिद्दीकी, हिना: (2020) समावेशी शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशन समूह, आगरा
10. सिंह, संगीता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का समावेशन, अपनी माटी, 30 सितम्बर 2025

11. यादव, धीरेन्द्र सिंह; सिंह, रश्मि; नामदेव, हरिओम: (2025) भारतीय शिक्षा का इतिहास, माही पब्लिकेशन, अहमदाबाद
12. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। (2020)। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf